न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 20.7.2022....... को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

अमल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
432/2022	09-09-2022	20/07/2023

उनवान

01. भोपत पुत्र खुशाला जाति मेघवाल निवासी ग्राम हरानपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

——:: वादी

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर (राज0)

——:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

01. श्री कुलदीप आहूजा एडवोकेट (वादीगण)

—:: निर्णय ::—

प्रकरण में सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 23 बीघा व 557 रकबा 3 बिस्वा वाके ग्राम हरानपुर माफी तहसील तिजारा में स्थित है। जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा पैमुद किये गये है। वर्णित आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। साबिक आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 23 बीघा, जिसके हाल आंराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा है, में से अन्य आराजीयात के साथ साथ साबिक आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा रकबा की खातेदारी जरिये सनद पट्टा संख्या 1828 दिनांक 02.12.1992 को तहसीलदार कम मैनेंजिग आफिसर, तिजारा द्वारा मिन वादी के नाम जारी कर दिया गया व खातेदारी हकूक प्रदान कर दिये गये। जिसका नामान्तकरण संख्या 479 भी मिन वादी के नाम दर्ज व मंजूर हो गया। मिन वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार का अमल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कर दिया गया। मिन वादी अपनी आराजी पर काबिज व दाखिल रहा है तथा मौके पर मिन वादी का अपनी आराजी पर वास्तविक कब्जा है। हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा रकबा सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह को आवंटित कर पट्टा दिया गया था परन्तु सतेन्द्र पुत्र श्री फूलसिंह के नामान्तकरण संख्या 330 में पटवारी हल्का की गलती से रकबा 23 बीघा 03 बिस्वा रकबा दर्ज कर दिया। जिस कारण से मिन वादी के नामान्तकरण संख्या 479 का अमल राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया। तत्पश्चात सतेन्द्र पुत्र श्री फूलसिंह द्वारा अपने नामान्तकरण संख्या 330 की अपील माननीय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय अलवर के आदेश से सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह के नामान्तकरण संख्या 330 में हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

अमल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में ...

वादीगण का रकबा प्रभावित होता है परन्तु पटवारी हल्का की गलती से वादीगण का अंकन सहवन से हटा दिया गया। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में किसी प्रकार का विरोधाभाषी कथन वाद के विपरित में नहीं कहां है अपितु वाद में जारी सनद पट्टा व राजस्व रिकार्ड की पुष्टि की है एवं यह अंकित किया है कि राजकीयहित प्रभावित नहीं है जिस कारण से वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है। तनकी संख्या 1 पूर्णतया वादी के पक्ष में साबित है चूंकि प्रतिवादी राज्य सरकार है इसलिए तनकी संख्या 2 की बाबत कोई अनुतोष वादीगण को नहीं दिया जा सकता।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है0 व 486/692 रकबा 0.25 है0, 486/697 रकबा 0.40 है0, 486/709 रकबा 0.40 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में मुताबिक सनद पट्टा 1828 व नामान्तकरण संख्या 479 के अनुसार 1 बीघा 09 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
432/2022	09-09-2022	20/07/2023

उनवान

01 भीवत पुत्र खुशाला जाति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

-----:: वादी

बनाम

01 राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित
01 श्री कुलदीप आहूजा एडवोकेट (वादीगण)

-:: पर्चा डिकी ::-

आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है0 व 486/692 रकबा 0.25 है0, 486/697 रकबा 0.40 है0 486/709 रकबा 0.40 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में मुताबिक सनद पट्टा 1828 व नामान्तकरण संख्या 479 के अनुसार 1 बीघा 09 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०